(3)

न्यासियों की सहमति से ट्रस्ट की समस्त देनदारियां निपटा कर ऐसी ही संस्था/ट्रस्ट को दान स्वरूप दे दी जायेगी ।

यह स्पष्ट घोषणा की जाती है कि न्यास की समस्त चल- अचल सम्पत्ति का कोई अंश न्यास के उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जायेगा और न्यास के उद्देश्यों में भी जिन कार्यों से संसार का अपेक्षाकृत अधिक उपकार होता है, उनको प्रमुखता दी जायेगी ।

संस्थापक एवं न्यासकर्ता -न्यासियों ने ऊपर वर्णित तिथि, मास एवं वर्ष में इस न्यासपत्र का निष्पादन किया है ।

साक्षी - धनीराम

1- (धनीराम) पुत्र श्री मेहर सिंह,
निवासी 267, तेहखण्ड,
नई दिल्ली· रा· कार्ड नं· 15221·
मंडल सं·36, तिथि - 26·7·1996·

2- (रामफूल) पुत्र श्री भगवान प्रसाद,
निवासी 74, तेहखण्ड, माला मोहल्ला·
नई दिल्ली· राशन कार्ड नं· 827566
मंडल सं· 36, दिनांक 6·8·97·
रामफूल

(धर्मराज मावी)
संस्थापक -न्यासकर्ता-न्यासी अध्यक्ष

R S901

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

9- न्यास अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु किसी वैतनिक कर्मचारी, ठेकेदार व दलाल को नियुक्त और निष्कासित कर सकता है ।

10- न्यास से सम्बन्धित आश्रम, पाठशाला, चिकित्सालय अथवा अन्य किसी संस्था/शाखा में रहने वाले व्यक्तियों को न्यास के निर्धारित नियमों का पालन न करने तथा अनुशासन भंग करने की स्थिति में संस्था से निष्कासित किया जा सकता है ।

11- सर्वसाधारण के कल्याणार्थ, उपयुक्त समझे जाने वाले स्थान पर, न्यास द्वारा उपयुक्त समझी गई प्रक्रिया द्वारा, न्यास के कार्यों का निर्वहन करने हेतु समय-समय पर समिति, उपसमितियों आदि का गठन किया जा सकता है, जिसमें एक या अनेक व्यक्ति सम्मिलित हों ।

12- न्यास के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए अध्यक्ष आवश्यकतानुसार जब उचित समझेगा न्यासियों की बैठक बुलायेगा ।

13- विशेष परिस्थितियों में न्यास एवं न्यास की चल - अचल सम्पत्ति को पूर्ण या आंशिक रूप में स्थानान्तरित या हस्तांतरित करने का अधिकार न्यास को होगा, परन्तु यह स्थानान्तरण या हस्तांतरण न्यास के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही हो सकेगा ।

14- न्यास के उद्देश्यों को छोड़कर, अन्य धाराओं में परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन किया जा सकता है ।

15- अध्यक्ष आपत्तिकाल में न्यास को भंग कर सकता है । ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण लेनदारी व देनदारी को निपटाने के बाद बची न्यास की जो चल-अचल सम्पत्ति है उसे वह (अध्यक्ष) किसी समान उद्देश्य वाली संस्था में ही लगा सकता है । न्यास की सम्पत्ति का कोई अंश किसी न्यासी अथवा व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा ।

16- यदि न्यास किसी स्थिति में न्यास का संचालन करने में अपने को असमर्थ हो जाये तो न्यास की सारी चल-अचल सम्पत्ति का अधिकार

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

3- न्यासकर्ता (अध्यक्ष) अपने जीवनकाल में अगले अध्यक्ष की नियुक्ति कर देंगे। यह नियुक्त अध्यक्ष, अपने से अगले अध्यक्ष की नियुक्ति अपने जीवनकाल में कर देंगे। यह परम्परा सदा आगे चलती रहेगी। प्रत्येक अध्यक्ष आजीवन अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष का किसी दुर्घटना या आकस्मिक निधन हो जाये तो उत्तराधिकारी की अनियुक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष एवं अन्य न्यासी जैसा उचित हो कर सकेंगे। न्यासी एवं उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये गये अध्यक्ष को सभी अधिकार पूर्ववत् रहेंगे।

4- न्यासियों की संख्या कम से कम तीन ~~अथवा~~ तथा अधिक से अधिक ग्यारह होगी। यदि न्यासी तीन से कम रह जायेंगे तो शेष न्यासी उस समय तक कोई कार्य नहीं कर सकेगा/सकेंगे, जब तक निर्धारित न्यूनतम संख्या (तीन) पूरी न हो जाये।

5- न्यास की सभा में तीन न्यासियों की उपस्थिति होने पर गणपूर्ति मानी जायेगी। वह न्यासी जो न्यास की सभा में उपस्थित होने में असमर्थ हो कार्यसूची के बारे में विचार भेजेगा तथा ऐसे विचारों को सम्बन्धित विषय (मामले) के बारे में उसका मत माना जायेगा। ~~अध्यक्ष/~~ सभी निर्णय बहुमत से होंगे। विवादास्पद स्थिति में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार अकेले न्यास के अध्यक्ष को होगा। अध्यक्ष का अन्तिम निर्णय सर्वमान्य होगा, जिसे न्यासी चुनौति नहीं दे सकते।

6- अध्यक्ष किसी भी न्यासी को हटाने व नई नियुक्ति करने का अधिकार रखता है, किन्तु वे न्यासी वैदिक धर्मानुयायी, सच्चरित्रवान भी हों। मादक द्रव्यों एवं मांस का सेवन करने वालों को न्यासी नहीं बनाया जायेगा।

7- न्यास से सम्बन्धित कानूनी कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए वकील आदि को नियुक्त किया जा सकेगा।

8- न्यास, किसी सदस्य एवं कर्मचारी को न्यास के कार्यहेतु किसी सरकारी कार्यालय और संस्था में उपस्थित होने, बयान देने तथा अन्य कार्यवाही आदि करने का अधिकार प्रदान कर सकता है।

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

9) न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी न्यासी द्वारा उसके अधिकार के अनुरूप व्यय की गई उचित धनराशि का न्यास द्वारा भुगतान किया जा सकता है ।

10) न्यासी सदस्य, जो कोष व राशि वास्तव में उसके हाथ में आयेगी, उसका लेखा-जोखा रखेगा ।

11) कोई भी न्यासी, न्यास से कमीशन, वेतन आदि लेने का अधिकारी नहीं होगा, परन्तु अध्यक्ष सहित न्यासी उचित समझेंगे तो किसी भी न्यासी को पारिश्रमिक अथवा भरणपोषण के रूप में धनराशि या वस्तुएं दे सकेंगे ।

12) न्यास की चल-अचल सम्पत्ति को अध्यक्ष तथा न्यासी, जिन शर्तों तथा जितने समय के लिए उचित समझें न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विक्रय कर सकते हैं, किराये पर दे सकते हैं, धरोहर रख सकते हैं अथवा अन्य रूप से इसका निपटारा कर सकते हैं ।

13) न्यास तत्समय प्रवृत्त परिवर्तित, संशोधित, सभी नियमों एवं विधियों के आधीन रहते हुए कार्यरत होगा व समय-समय पर प्रदत्त प्रत्येक लाभ एवं छूट आदि का अधिकारी होगा।

(ख) संचालन सम्बन्धी :-

1- श्री रणजीतमावी न्यासकर्ता, इस न्यास के आजीवन अध्यक्ष व न्यासी होंगे और न्यास की ओर से हर जगह हस्ताक्षर करने तथा न्यास के प्रबन्ध में विभिन्न अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होंगे। न्यास को पंजीकरण कार्यालय में पंजीकृत कराने, आयकर कार्यालय में पंजीकृत कराने अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही करने के लिए भी अध्यक्ष ही हस्ताक्षर कर सकेंगे, अतः अध्यक्ष को ये सब अधिकार हैं ।

2- अध्यक्ष की अनुपस्थिति यथा-प्रवास, अस्वस्थता आदि अवस्था में उनके स्थान पर उनके द्वारा लिखित निर्धारित न्यासी उनके कार्यों को करने के लिए विशेष आदि हेतु अधिकृत होंगे ।

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

न्यासियों के कर्तव्य एवं [illegible] -

(क) कोष सम्बन्धी -

1) न्यास एवं न्यास की सम्पत्ति एवं कोष के प्रबन्ध, रक्षण/रख-रखाव/[illegible] और संचालन हेतु सभी प्रकार के आवश्यक कार्य करना । कोष सम्बन्धी सभी लेखा-जोखा रखना ।

2) न्यास का वार्षिक आय-व्यय 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा । न्यास का लेखा-जोखा " लेखा-निरीक्षक " से जांच करवायेा जायेगा ।

3) अध्यक्ष एवं न्यासी जैसा उचित समझें न्यास निधि को आयकर कानून (नियम) को ध्यान में रखते हुए किसी भी आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, डाकघरों तथा किन्हीं भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थिर-निधि, चालू एवं बचत खाता खोल सकते हैं ।

4) बैंक, डाकघर, कम्पनी या अन्य किसी भी संस्था में जमा न्यास की धनराशि को निकालने का अधिकार (क) अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को, अथवा (ख) अध्यक्ष एवं किन्हीं दो न्यासियों को, अथवा (ग) न्यास की सभा में प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त अकेले अध्यक्ष को भी होगा।

5) न्यास के उद्देश्यों हेतु किसी भी व्यक्ति, परिवार, फर्म, संस्था, (सरकारी अनुदान संस्था सहित) न्यास, आदि से चल-अचल सम्पत्ति के रूप में सहयोग प्राप्त करना।

6) न्यास के कोष की आय अथवा संग्रहीत धनराशि को पूर्ण या आंशिक रूप से न्यास के किसी भी उद्देश्य के लिए पृथक रखना ।

7) न्यास, किसी व्यक्ति, संस्था आदि से दान, चंदा तथा किराया आदि किसी भी प्रकार की बकाया धनराशि को वसूल करने हेतु प्रतिनिधि या कर्मचारी नियुक्त कर सकता है ।

8) न्यास की सभा में प्रस्ताव पारित करके किसी न्यासी अथवा प्रतिनिधि को न्यास के नाम पर [illegible] में किसी प्रकार का [illegible]

[illegible]

DHAR

ट्रस्ट का धन संचय करने सम्बन्धी योजना-

1- ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक राज्य में जहां उचित सुविधा होगा वहां पर मुर्गी फार्म, डेरी फार्म, मछली फार्म, फिश फार्म, व मधुपालन आदि का संचालन व्यवस्था। ट्रस्ट द्वारा संचालित धन संचय योजनाओं से प्राप्त आमदनी का 50 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जायेगा, 30 प्रतिशत खेलों पर, 20 प्रतिशत धन उपार्जन और समाज कल्याण आदि में खर्च किया जायेगा।

2- फिल्म निर्माण, सीरियल, नाटक स्वांग व पत्रिका आदि का प्रकाशन करना, फिल्म शो व स्टार शो करके धन संचय करना, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों से व बड़े-बड़े उद्योगपतियों से दान आदि प्राप्त करना।

3- जमीन आदि को पट्टे पर लेकर उनमें कृषि - फूल, नर्सरी, खेती आदि कर धन संचय करना।

4- बस व टैक्सी आदि के परमिट प्राप्त कर उनको किराये पर चलाना और धन संचय करना।

5- आयात- निर्यात कर धन संचय करना।

ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही व गतिविधियों को ध्यान में रखकर समिति उपसमिति का गठन किया जासकेगा।

ट्रस्ट के न्यासियों को कम या ज्यादा करने का अधिकार ट्रस्ट के अध्यक्ष व न्यासियों को होगा।

ट्रस्ट द्वारा की गई प्रत्येक कार्य/कार्यवाही केवल ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही की जायेगी।

..5..

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

इस न्यास के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे-

1- सभी समुदाय के लोगों व बड़े बूढ़ों एवं बच्चों को प्राचीन [illegible]
वातावरण में रखना व भारतीय संस्कृति के अनुरूप [illegible]
जीवन व्यतीत करते हुए संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, [illegible], [illegible],
भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, कृषिशास्त्र, [illegible]
एवं विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, नागरिकशास्त्र आदि का सभी क्षेत्रीय
भाषाओं में निःशुल्क शिक्षा देकर अपने भारतवर्ष का सुयोग्य व देशप्रेमी
नागरिक बनाना है। सभी वर्गों के बच्चों के पहली कक्षा से लेकर बी.ए.,
एम.ए., बी.ए. बी.एड. एम.ए., एल.एल.बी. इन्जिनियरिंग, डाक्टरी
तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। स्कूल, कालेज, हास्टेल आदि बनाना।

2- अनाथ विकलांग गरीब, असहाय व होनहार बच्चों व छात्रों को अच्छी
शिक्षा एवं वर्दी किताबें, होस्टल, रहने खाने का इन्तजाम करना जो
बच्चे अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करने देश विदेश जाना चाहते हैं उनको
उचित सहायता एवं मार्ग दर्शन करना।

3- समाज के हर प्राणी को समाज की बुराईयों से दूर रखना [illegible]
शराब, जुआ, धूम्रपान, मांसाहार, नशा इत्यादि बुराईयों से बचाना,
दहेज जैसे घिनौने व्यापार को बन्द कराना, शादी-ब्याह में फिजूलखर्ची
बन्द कराना, गरीबों का शोषण, महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा एवं
असामाजिक तत्वों से छुटकारा, इत्यादि पर ट्रस्ट का मुख्य योगदान/
सहयोग करना।

4- वृद्ध-वृद्धाओं के आवास की योजना बनाना जिससे वृद्धावस्था सुख शांति
से पार की जा सके।

5- सभी वर्गों के बच्चों, महिलाओं, वृद्धों को भारत दर्शन, तीर्थ स्थान
आदि करवाने की व्यवस्था करना।

6- समय-समय पर सत्संग, भजन, कीर्तन भण्डारे आदि का आयोजन करना/
करवाना।

DHARAM RAJ [illegible]
CHAIRMAN I.W.T. [illegible]

गठन :- न्यास के निम्नलिखित अधिकारी सदस्य होंगे -

1- रणजीत मावी सुपुत्र श्री हरलाल, निवासी 240, तेहखण्ड, नई दिल्ली .. न्यास के न्यासकर्ता, आजीवन अध्यक्ष एवं न्यासी.

2- किशन सिंह सुपुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी A216 तेहखण्ड, नई दिल्ली. न्यास के उपाध्यक्ष एवं न्यासी.

3- रतन पाल सुपुत्र श्री सुर्जन सिंह, निवासी 74, तेहखण्ड, नई दिल्ली न्यास के महासचिव एवं न्यासी.

4- हरिपाल सुपुत्र श्री खेमराज सिंह, निवासी गांव पावला, जिला: बागपत, उत्तरप्रदेश न्यास के सचिव - एवं न्यासी.

5- मिस नेहा सुपुत्री श्री राजपाल, निवासी 240/14, तेहखण्ड, नई दिल्ली . न्यास की कोषाध्यक्ष एवं न्यासी

6- मलखान सिंह सुपुत्र श्री लख्मू सिंह, निवासी गांव याकूबपुर, डा॰ छलैल, नोएडा. न्यास के न्यासी सदस्य.

7- श्रीमती रानी पत्नी श्री किशन सिंह, निवासी 144, तेहखण्ड, नई दिल्ली न्यास की न्यासी सदस्य.

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक न्यासकर्ता (अध्यक्ष) के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्णरूप से प्राणिमात्र के धर्मार्थ होगा और इसकी आय देश-विदेश में इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं की स्थापना एवं उनका परिरक्षण करने में बिना किसी पक्षपात के सर्वकल्याणार्थ प्रयोग की जायेगी। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सन्निहित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेत हो।

समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत व उपनियमानुसार आवश्यकता अनुसार इसकी शाखायें खोली जा सकेंगी।

---3---

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

" ट्रस्ट डीड "

इन्टरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

मैं, रणजीत मावी सुपुत्र श्री हरलाल, निवासी 240, तेलवाड़ा, नई दिल्ली, जो पश्चात् न्यास के संस्थापक न्यासकर्ता के रूप में उल्लिखित हूँ। आज दिनांक 04/04/2001 के दिन इस ट्रस्ट (न्यास) के इस घोषणापत्र का निष्पादन कर रहा हूँ। मेरी (रणजीत मावी) यह हार्दिक अभिलाषा है कि मानव समाज में स्थायी सुख, शांति, प्रेम, संगठन, सद्भाव, विश्वास, निर्भयता स्वतंत्रता, आस्तिकता, धार्मिकता, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, दीर्घायु आदि उत्तम व आदर्श गुणों की स्थापना हेतु इस न्यास (ट्रस्ट) की स्थापना की जाये तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों-उपसाधनों का संग्रह किया जाये। इसके निमित्त प्रारम्भ में रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) प्रदान करता हूँ।

ट्रस्ट का नाम - " इन्टरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट " होगा।

[illegible] - ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय -
240, तेलवाड़ा,
नई दिल्ली - 1100[illegible]

भविष्य में आवश्यकतानुसार कार्यालय/कार्यालयों को स्थानान्तरित भी किया जा सकता है।

(12)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY GOVT. OF INDIA

दिल्ली DELHI

17AA 487502

UNDERTAKING

I, Dharam Raj Mavi Chairman of Tehkhand Extn. Okhla Ph-I, New Delhi-20

do hereby solemnly affirm and undertake as under:-

1. I hereby undertake that I am agreed with the approved layout plan with the conditions & without any conditions.

2. I hereby undertake that I will pay the Development Fee and any other fee to the DDA or to the concerned authority for the provision of Electricity, Water, Sewerage and Drainage.

3. I hereby undertake that as per the instruction of Planning/Development Controller I will provide/transfer the land for Roads & other Public Convenient or Community Services in favour of DDA/MCD/NDMC without any cost.

EXECUTANT
DHARAM RAJ MAVI

Attested as Identified

Notary Public

20 MAR 2008

(13)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI

E 569755

INDEMNITY BOND

This Indemnity Bond is made this 25th day of March, 2008 by Mr. Dharam Raj Mavi son of Ch. B.S. Mavi, resident of T-76, Mavi Mohalla, Village Tehkhand, Okhla Phase-I, New Delhi-110020, Chairman of INTERNATIONAL WELFARE TRUST situated at Office: T-76, Mavi Mohalla, Village Tehkhand, Okhla Phase-I, New Delhi-110020 (Regd. No. 5701). I do hereby indemnity hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I am submitting layout plan, survey plan, service plan, site plan and key plan of Village Tehkhand Extension, Part-II, T-Block, B-Block & C-Block situated at Near D.T.C. Central Work Shop and apposite Old Campa Cola Factory, Okhla, Phase-I, New Delhi-110020, on behalf of our association for regularization.

2. That I am giving an undertaking on behalf of our association that NCT Govt. . of Delhi will not be liable for any loss or damages from natural hazards based on soil conditions to our society.

In witnesses whereof this indemnity bond is executed by the Executants on the date, month and year first above written in presence of the following witnesses:-

Witnesses:-

1.

EXECUTANT

2.

NOTARY PUBLIC
S.S. SINGH
Shyam Sunder Singh
NOTARY PUBLIC
(Registration No.463/93)
DELHI
Appointed by Central Govt.
INDIA

Attested
S. S. SINGH
Notary Public
Delhi

25 MAR 2008

हितेश	विकम	सी 26	बिल्ट अप	नही	हां	हां	हां	100
नवीन	सरदा राम	सी 27	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	100
[illegible]र	नवल सिंह	सी 28	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	100
वीरपाल	रामप्रसाद	सी 29	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	200
नितिन	वीरपाल	सी 30	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	110
ब्रहम सिंह	राम प्रसाद	सी 31	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	300
प्रवीण	सरदा राम	सी 32	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	110
ईश्वर	नवल सिंह	सी 33	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	110
विकम	नवल सिंह	सी 34	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	110
प्रवीण	धीर सिंह	सी 35	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	150
हर्ष	महेश	सी 36	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	150
प्रदीप	महाराज सिंह	सी 37	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	300
महाराज सिंह	सौ लाल	सी 38	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	300
धीर सिंह	सौ लाल	सी 39	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	300
महेश	सौ लाल	सी 40	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	300

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)
Regd. No: 5701
T-76, Tehkhand Vill.,
Mavi-Mohalla, New Delhi-20.
9810956651, 26371548.

[illegible] PRAKASH Architect(s)
[illegible] No. S-1249 Reg. by M.C.D
2[illegible] Pkt -N Sarita Vihar
[illegible] Delhi-76 Ph. No...........

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)
Regd. No: 5701

[illegible] सिंह	बदले राम	सी1ए	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	200
[illegible]वीर	बदले राम	सी1बी	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	200
[illegible]जेन्द्र	गोपीचन्द	सी 2	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	100
सतपाल	गोपीचन्द	सी 3	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	110
शीशपाल	गोपीचन्द	सी 4	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	100
सेलक सिंह	लाला राम	सी 5	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	125
सुभाष	लाला राम	सी 6	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	100
जिले सिंह	रामफूल	सी 7	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	175
गोपी	नयन सिंह	सी 8	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	35
धर्मपाल	योद्धा राम	सी 9	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	65
अरविंद	जिले सिंह	सी 10	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	65
सी0 के0 राय	धर्म सिंह	सी 11	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	50
महाराज सिंह	सौ लाल	सी11/1	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	80
ग्यानी	खमीरी	सी 12	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	50
बल्लू	बाबू लाल	सी 13	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	85
जिले सिंह	राम फूल	सी 14	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	200
विनोद	जोधा राम	सी 15	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	65
थाना राम	जोधा राम	सी 16	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	110
करण सिंह	जोधा राम	सी 17	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	65
रविन्द्र	रीछ पाल	सी 18	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	125
राजे	रीछ पाल	सी 19	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	50
आनचन्द	गोविन्द सिंह	सी 20	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	50
सुरेन्द	रीछा राम	सी 21	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	150
रोशन	रामेश्वर	सी 22	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	150
महिपाल	वंशी	सी 23	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	150
विकम	नवल सिंह	सी 24	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	85
सरदा राम	नवल सिंह	सी 25	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	85

DHARAM RAJ MAVI

[illegible] PRAKASH Architect(s)
Regn. No. S-1249 Reg. by M.C.D
Regd. No 5701 [illegible]98 Pkt.-N Sarita Vibar
Tehkhand Vill. New Delhi-76 Ph. No.........
9810956651 - 26371548

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)
Regd. No: 5701

Regd No 5701 Regn. No. S-1249 Reg. by M.C.D
Tehkhand Vill-N-2-20 [illegible]93 Pkt-N Sarita Vibar
9810956651 - 26371548 New Delhi-76 Ph. No.....

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)
Regd. No:- 5701

सम्पत्ति के स्वामी का नाम	पिता / पति का नाम	प्लॉट नं0 / मकान नम्बर	क्या प्लाट है या फलैट	दूरभाष नम्बर यदि कोई हो	जल हां / नहीं	बिजली का कनेक्शन	क्या रेजिडेन्टस वेलफेयर एसोसएिशन / सोसाइटी के सदस्य हैं– हां / नहीं	प्लाट [illegible]
मनजीत सिंह	श्रवण सिंह	टी–1	बिल्ट अप	नही	नही	हां	हां	60
भरत सिंह	चन्द्रपाल	टी–2	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	135
बबली	चन्द्रपाल	टी–3	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	280
सतपाल	चन्दी	टी–4	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	200
सतवीर	चन्दी	टी–5	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	180
देवेन्द्र	चन्दी	टी–6	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	150
नेमराज	भगवत सिंह	टी–7	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	200
धर्मराज	भगवत सिंह	टी–8	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	160
इन्दर	मलखान सिंह	टी–9	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	85
डम्बर सिंह	रामचन्दर	टी–10	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	75
सतवीर सिंह	चन्दी	टी–11	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	60
राजपाल	बल्ला	टी–12	बिल्ट अप	नहीं	हां	[illegible]	[illegible]	[illegible]
दीपक	राजपाल	टी–13	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	100
चन्द्रपाल	बल्ला	टी–14	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	260
अमरजीतसिंह	सूरजीत सिंह	बी–1	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	500
विजेन्द्र	अंगद सिंह	बी–2	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	175
करतार सिंह	अंगद सिंह	बी–2ए	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	175
जयप्रकाश	अंगद सिंह	बी–2बी	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	175
देवेन्द्र सिंह	हरमेन्द्र सिंह	बी–3	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	220
कृष्ण	अंगद सिंह	बी–4	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	175
राम लखन	अंगद सिंह	बी–5	बिल्ट अप	नहीं	हां	हां	हां	350

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)
Regd No 5701
Tughlakabad Vill-N-2-20
9810956651 – 26371548

OM PRAKASH Architect(s)
No. S-1249 Reg. by M.C.D
394 Pkt-N Sarita Vihar
New Delhi-76 Ph. No......

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)
Regd. No:- 5701

17

		Width/Length	Dimension
	-Parks/Transport lots/Common	yes	
	-Open space	—	
	-Schools	yes	
	-Community Hall	yes	
	-Common parking areas	yes	
	-Dispensary/Health Centre	yes	
	-Religious structures	Mandir	
	-Police Post/Fire Post	—	

Enclosures:

a) Resolution of the Resident Society.
b) Registration Certificate of Society with authenticated list of members/owners/occupants.
c) Existing Survey Plan (05 copies).
d) Regularisation Plans/ 5 Lay out Plan . 5 Service plan(5 CDs each containing survey plan, layout plan and service plan).
e) Undertaking as per section (C) & 10.1(iv).
f) Certified Land Ownership documents/Khsara/Gildawari/NOC of land owning agency.
g) Certificates/documents/NOCs/Indemnity Bond as per Sec 10.1 (iii) & (vi) Sec 10.5 & 10.6.
h) Receipt of layout plan Fees/Processing fee, cost of land, penalty and other charges.

Signature of Authorised Signatory
Resident Society with stamp

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

OM PRAKASH Architect(s)
CIC No. S-1249 Reg. by M.C.D
298 \ Pkt -N Sarita Vihar
New Delhi-76 Ph. No...

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

21. No. of Built-up Plots: (Min.35% of Gr.Floor permissible coverage)

- (i) Upto 100 sq.mts. - 35 No's.
- (ii) Above 100 sq.mts. - 43 No's.
- (iii) Above 250 sqm. - 8 No's.

22. No. of Vacant Plots:

- (i) Upto 100 sq.mts. - 01
- (ii) Above 100 sq.mts. - 03
- (iii) Above 250 sqm. - 01

23.	Land use: As per Master Plan As per Zonal Plan	Residential	
24.	Whether falls in Reserved Forests or Regional Park	-No-	Yes/No
25.	Whether the Colony effects/falls over Master Plan Road alignment Railway Line Metro Corridor Water Supply/sewerage lines/Utilities Works	-No- -No- -No- -No-	
26.	Any Monuments/Heritage Buildings in the Colony or in the vicinity?	-No-	
27.	Key Plan/Site Plan of unauthorised area of urbanized/rural village and description of boundaries..................... (Please attach scaled Key Plan/Plan of unauthorised area of urbanized/rural village superimposed on Zonal Plan/City Survey Map indicating North Point, surrounding features, adjacent roads, buildings, drains, electricity, lines etc.)	Attached	
28.	NOCs from (Please attach)	-No-	
29.	Affidavits/Indemnity Bond(Please attach)	Attached	
30.	Status of Services	Nos./Area/ Width/Length	Stage of Development
	-Roads -Water Supply -Hand pumps -Tube wells -Underground Water Tank -Street Light -ESS/transformers/Generators -Drains -Sewerage/Sanitation -Fire fighting installations	Rigid Road yes yes yes -No- yes yes yes yes -No-	
31.	Status of Facilities	Nos./Area/	Stage of

OM PRAKASH Architect(s)
LIC No. S-1249 Reg. by M.C.D
298 A Pkt-N Sarita Vihar
New Delhi-76 Ph. No.

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

Application & [illegible] of the Regularisation of [illegible]
Urbanised/Rural Village
Form A
(To be filled up by the Applicant/Resident Society
Architect-Town Planner & Service Engineer)

1.	[illegible] address of the unauthorised area of Urbanised/Rural Village [illegible]	[illegible]
2.	Name of RWA/Applicant Society	INTERNATIONAL WALFARE [illegible]
3.	Registration no. of the RWA/Society (with Registrar Coop. Society)	Regd. No. 5701
5.	Names of Physical Surveyor & Socio-economic Surveyor	BIRPAL SINGH
6.	Name of Services Engineer	OM PRAKASH Architect(s) LIC No. S-1249 Reg. by M.C.D. 298 A Pkt-N Sarita Vihar New Delhi-76 Ph. No....
7.	Name of Supervising Engineer	
8.	Name of Authorised Signatories	DHARAM RAJ MAVI – CHAIRMAN (I.W.T.)
9.	Category of colony (as per MCD Property Tax)	– G –
10.	Revenue Village	KALKAJI
11.	Zone (as per Master Plan of Delhi)	SOUTH
12.	Date from which unauthorised area of Urbanised/Rural Village exists	1955
13.	Location/surroundings (Towards North, South, East & West)	E – N. Railway. W – ~~[illegible]~~ INDUSTRIAL AREA S – D.T.C. WORKSHOP. N – TEHKHAND village,
14.	Development Area No. MCD/NDMC/Cantt [illegible]	
	Whether falls in Notified Slum Area	M.C.D.
15.	Total area of Unauthorised area of urbanised/rural village	4.37 Acre.
16.	Land Status/Ownership (please attach land ownership documents)	Pvt. (owned) Land
17.	Court Case, if any (Please attach details)	– No –
18.	Land whether notified for acquisition	– NO –
19.	List of members with Plot/property No. (to be attached)	Attached
20.	Percentage of [illegible]	[illegible]

OM PRAKASH Architect(s)
LIC No. S-1249 Reg. by M.C.D
298 A Pkt-N Sarita Vihar
New Delhi-76 Ph. No....

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)
Regd No: 5701

Cell No. 9810956651
26371548.

न्यासियों की सहमति से ट्रस्ट की समस्त देनदारियाँ निपटा कर ऐसी ही संस्था/ट्रस्ट को दान स्वरूप दे दी जायेगी ।

यह स्पष्ट घोषणा की जाती है कि न्यास की समस्त चल- अचल सम्पत्ति का कोई अंश न्यास के उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जायेगा और न्यास के उद्देश्यों में भी जिन कार्यों से संसार का अपेक्षाकृत अधिक उपकार होता है, उनको प्रमुखता दी जायेगी ।

संस्थापक एवं न्यासकर्ता -न्यासियों ने ऊपर वर्णित तिथि, मास एवं वर्ष में इस न्यासपत्र का निष्पादन किया है ।

साक्षी - धनीराम

1- (धनीराम) पुत्र श्री मेहर सिंह,
निवासी 267, तेहखण्ड,
नई दिल्ली. रा. कार्ड नं. 15221.
मंडल सं. 36, तिथि - 26.7.1996.

2- (रामफूल) पुत्र श्री भगवा प्रसाद,
निवासी 74, तेहखण्ड, माता मोहल्ला.
नई दिल्ली. राशन कार्ड नं. 827566
मंडल सं. 36, दिनांक 6.8.97.
रामफूल

(रामा ...)
संस्थापक -न्यासकर्त्ता- न्यासी अध्यक्ष

R 5901-

THE SEAL OF NOTARY PUBLIC ... KUMAR

ATTESTED PHOTO COPY
By Notary Public
ITO Lane, New Delhi
18 AUG 2008

18/8/08.

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

9- न्यास अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु किसी वैतनिक कर्मचारी, ठेकेदार व दलाल को नियुक्त और निलम्बित कर सकता है ।

10- न्यास से सम्बन्धित आश्रम, छात्रावास, चिकित्सालय भवन आदि किसी संस्था/शाखा में रहने वाले व्यक्तियों को न्यास के निर्धारित नियमों का पालन न करने तथा अनुशासन भंग करने की स्थिति में संस्था से निष्कासित किया जा सकता है ।

11- सर्वसाधारण के कल्याणार्थ, उपयुक्त समझे जाने वाले स्थान पर, न्यास द्वारा उपयुक्त समझी गई प्रक्रिया द्वारा, न्यास के लक्ष्यों का निर्वहन करने हेतु समय-समय पर समिति, उपसमितियों आदि का गठन किया जा सकता है, जिसमें एक या अनेक व्यक्ति सम्मिलित हों ।

12- न्यास के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए अध्यक्ष आवश्यकतानुसार जब उचित समझेगा न्यासियों की बैठक बुलायेगा ।

13- विशेष परिस्थितियों में न्यास एवं न्यास की चल - अचल सम्पत्ति को पूर्ण या आंशिक रूप में स्थानान्तरित या हस्तांतरित करने का अधिकार न्यास को होगा, परन्तु यह स्थानान्तरण या हस्तांतरण न्यास के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही हो सकेगा ।

14- न्यास के उद्देश्यों को छोड़कर, अन्य धाराओं में परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन किया जा सकता है ।

15- अध्यक्ष आपत्तिकाल में न्यास को भंग कर सकता है । ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण लेनदारी व देनदारी को निपटाने के बाद बची न्यास की जो चल-अचल सम्पत्ति है उसे वह (अध्यक्ष) किसी समान उद्देश्य वाली संस्था में ही लगा सकता है । न्यास की सम्पत्ति का कोई अंश किसी न्यासी अथवा व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा ।

16- यदि न्यास किसी स्थिति में न्यास का संचालन करने में अपने को असमर्थ हो जाये तो न्यास की सारी चल-अचल सम्पत्ति का अधिकार

....9

THE SEAL OF NOTARY PUBLIC
APP. BY CENTRAL GOVT. OF INDIA DELHI
[illegible] KUMAR

19/8/08

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

3- न्यासकर्ता (अध्यक्ष) अपने जीवनकाल में अगले अध्यक्ष की नियुक्ति कर देंगे। वह नियुक्त अध्यक्ष, अपने से अगले अध्यक्ष की नियुक्ति अपने जीवनकाल में कर देंगे। यह परम्परा सदा आगे चलती रहेगी। प्रत्येक अध्यक्ष आजीवन अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष का किसी दुर्घटना या आकस्मिक निधन हो जाये तो उत्तराधिकारी की अनियुक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष एवं अन्य न्यासी जैसा उचित हो कर सकेंगे। न्यासी एवं उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये गये अध्यक्ष को सभी अधिकार पूर्ववत् बने रहेंगे।

4- न्यासियों की संख्या कम से कम तीन ~~अथवा~~ तथा अधिक से अधिक ग्यारह होगी। यदि न्यासी तीन से कम रह जायेंगे तो शेष न्यासी उस समय तक कोई कार्य नहीं कर सकेगा/सकेंगे, जब तक निर्धारित न्यूनतम संख्या (तीन) पूरी न हो जाये।

5- न्यास की सभा में तीन न्यासियों की उपस्थिति होने पर गणपूर्ति मानी जायेगी। वह न्यासी जो न्यास की सभा में उपस्थित होने में असमर्थ हो कार्यसूची के बारे में विचार भेजेगा तथा ऐसे विचारों को सम्बन्धित विषय (मामले) के बारे में उसका मत माना जायेगा। ~~अध्यक्ष~~ सभी निर्णय बहुमत से होंगे। विवादास्पद स्थिति में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार अकेले न्यास के अध्यक्ष को होगा। अध्यक्ष का अन्तिम निर्णय सर्वमान्य होगा, जिसे न्यासी चुनौति नहीं दे सकते।

6- अध्यक्ष किसी भी न्यासी को हटाने व नई नियुक्ति करने का अधिकार रखता है, किन्तु वे न्यासी वैदिक धर्मानुयायी, सच्चरित्रवान भी हों। मादक द्रव्यों एवं मांस का सेवन करने वालों को न्यासी नहीं बनाया जायेगा।

7- न्यास से सम्बन्धित कानूनी कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए वकील आदि को नियुक्त किया जा सकेगा।

8- न्यास, किसी सदस्य एवं कर्मचारी को न्यास के कार्यहेतु किसी सरकारी कार्यालय और संस्था में उपस्थित होने, ध्यान देने तथा अन्य कागजात आदि रखने का अधिकार प्रदान कर सकेगा।

THE SEAL OF NOTARY PUBLIC APP. BY CENTRAL GOVT. OF INDIA DELHI AZAD KUMAR

... 8

19/8/08

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

9) न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी न्यासी द्वारा अपने अधिकार के अनुरूप व्यय की गई उचित धनराशि का न्यास द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

10) न्यासी सदस्य, जो कोष व राशि वास्तव में उसके हाथ में आयेगी, उसका लेखा-जोखा रखेगा।

11) कोई भी न्यासी, न्यास से कमीशन, वेतन आदि लेने का अधिकारी नहीं होगा, परन्तु अध्यक्ष सहित न्यासी उचित समझेंगे तो किसी भी न्यासी को पारिश्रमिक अथवा भरणपोषण के रूप में धनराशि या वस्तुएं दे सकेंगे।

12) न्यास की चल-अचल सम्पत्ति को अध्यक्ष तथा न्यासी, जिन शर्तों तथा जितने समय के लिए उचित समझें न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विक्रय कर सकते हैं, किराये पर दे सकते हैं, धरोहर रख सकते हैं अथवा अन्य रूप से इसका निपटारा कर सकते हैं।

13) न्यास तत्समय प्रवृत्त परिनियम, संशोधित, विधियां एवं विनियमों के आधीन रहते हुए कार्यरत होगा व समय-समय पर प्रदत्त प्रत्येक लाभ एवं छूट आदि का अधिकारी होगा।

(ख) संचालन सम्बन्धी -

1- श्री रणजीतमावी न्यासकर्ता, इस न्यास के आजीवन अध्यक्ष व न्यासी होंगे और न्यास की ओर से हर जगह हस्ताक्षर करने तथा न्यास के प्रबन्ध में विभिन्न अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होंगे न्यास को पंजीकरण कार्यालय में पंजीकृत कराने, आयकर कार्यालय में पंजीकृत कराने अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही करने के लिए भी अध्यक्ष ही हस्ताक्षर कर सकेंगे, अतः अध्यक्ष को ये सब अधिकार हैं।

2- अध्यक्ष की अनुपस्थिति यथा-प्रवास, रुग्णता आदि अवस्था में उनके स्थान पर उनके द्वारा लिखित निर्धारित न्यासी उनके कार्यों को करने के लिए विशेष आदेश हेतु अधिकृत होंगे।

....7.

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

न्यासियों के कर्तव्य एवं अधिकार -

(क) कोष सम्बन्धी -

1) न्यास एवं न्यास की सम्पत्ति एवं कोष के प्रबन्ध, रक्षण/रख-रखाव/बचाव और संचालन हेतु सभी प्रकार के आवश्यक कार्य करना । कोष सम्बन्धी सभी लेखा-जोखा रखना ।

2) न्यास का वार्षिक आय-व्यय 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा । न्यास का लेखा-जोखा " लेखा-निरीक्षक " से जांच करवाया जायेगा ।

3) अध्यक्ष एवं न्यासी जैसा उचित समझें न्यास निधि को आयकर कानून (नियम) को ध्यान में रखते हुए किसी भी आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, डाकघरों तथा किन्हीं भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थिर-निधि, चालू एवं बचत खाता खोल सकते हैं ।

4) बैंक, डाकघर, कम्पनी या अन्य किसी भी संस्था में जमा न्यास की धनराशि को निकालने का अधिकार (क) अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को, अथवा (ख) अध्यक्ष एवं किन्हीं दो न्यासियों को, अथवा (ग) न्यास कीसभा में प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त अकेले अध्यक्ष को भी होगा।

5) न्यास के उद्देश्यों हेतु किसी भी व्यक्ति, परिवार, फर्म, संस्था (सरकारी अनुदान संस्था सहित) न्यास आदि से चल-अचल सम्पत्ति के रूप में सहयोग प्राप्त करना।

6) न्यास के कोष की आय अथवा संग्रहीत धनराशि को पूर्ण या आंशिक रूप से न्यास के किसी भी उद्देश्य के लिए पृथक रखना ।

7) न्यास, किसी व्यक्ति, संस्था आदि से दान, चंदा तथा किराया आदि किसी भी प्रकार की बकाया धनराशि को वसूल करने हेतु प्रतिनिधि या कर्मचारी नियुक्त कर सकता है ।

8) न्यास की सभा में प्रस्ताव पारित करके किसी न्यासी अथवा प्रतिनिधि को न्यास के नाम पर बैंक आदि में किसी प्रकार का चालू, बचत, सावधि जमा आदि खाता खोलने का अधिकार दिया जा सकता है ।

....6..

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T.(R)

19/8/08

(25)

ट्रस्ट का धन संचय करने सम्बन्धी योजना-

1- ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक राज्य में जहां उचित सुविधा होगी वहां पर मुर्गी फार्म, डेरी फार्म, मछली फार्म, पिग फार्म, पशुपालन आदि का संचालन व्यवस्था । ट्रस्ट द्वारा संचालित धन संचय योजनाओं से प्राप्त आमदनी का 50 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जायेगा, 30 प्रतिशत खेलों पर, 20 प्रतिशत धन उपार्जन और समाज कल्याण आदि में खर्च किया जायेगा।

2- फिल्म निर्माण, सीरियल, नाटक स्वांग व पत्रिका आदि का प्रकाशन करना, फिल्म शो व स्टार शो करके धन संचय करना, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों से व बड़े-बड़े उद्योगपतियों से दान आदि प्राप्त करना ।

3- जमीन आदि को पट्टे पर लेकर उनमें कृषि - फूल; नर्सरी, खेती आदि कर धन संचय करना ।

4- बस व टैक्सी आदि के परमिट प्राप्त कर उनको किराये पर चलाना और धन संचय करना ।

5- आयात- निर्यात कर धन संचय करना ।

ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही व गतिविधियों को ध्यान में रखकर समिति उपसमिति का गठन किया जासकेगा ।

ट्रस्ट के न्यासियों को कम या ज्यादा करने का अधिकार ट्रस्ट के अध्यक्ष व न्यासियों को होगा।

ट्रस्ट द्वारा की गई प्रत्येक कार्य/कार्यवाही केवल ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही की जायेगी ।

..5..

R 570

THE SEAL OF NOTARY PUBLIC APP. BY CENTRAL GOVT OF INDIA DELHI AZAD KUMAR

19/8/08

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

इस न्यास के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे-

1- सभी समुदाय के लोगों व बड़े बूढ़ों एवं बच्चों को प्राचीन वैदिक वातावरण में रखना व भारतीय संस्कृति के अनुरूप सीधा-सादा जीवन व्यतीत करते हुए संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, वेद दर्शन, इतिहास, भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, कृषिशास्त्र, तकनीकी एवं विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, नागरिकशास्त्र आदि का सभी क्षेत्रिय भाषाओं में नि:शुल्क शिक्षा देकर अपने भारतवर्ष का सुयोग्य व देशप्रेमी नागरिक बनाना है । सभी वर्गों के बच्चों के पहली कक्षा से लेकर बी.ए., एम.ए., बी.ए. बी.एड. एम.ए., एल.एल.बी. इन्जिनियरिंग, डॉक्टरी तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना । स्कूल, कालेज, हास्टेल आदि बनाना ।

2- अनाथ विकलांग गरीब, असहाय व होनहार बच्चों व छात्रों को अच्छी शिक्षा एवं वर्दी किताबें, होस्टल, रहने खाने का इन्तजाम करना जो बच्चे अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करने देश विदेश जाना चाहते हैं उनको उचित सहायता एवं मार्ग दर्शन करना ।

3- समाज के हर प्राणी को सामाजिक बुराईयों से दूर रखना जैसे- शराब, जुआ, धूम्रपान, मांसाहार, नशा इत्यादि बुराईयों से बचाना, दहेज जैसे घिनौने व्यापार को बन्द कराना, शादी-ब्याह में फिजूलखर्ची बन्द कराना, गरीबों का शोषण, महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा एवं असामाजिक तत्वों से छुटकारा, इत्यादि पर ट्रस्ट का मुख्य योगदान/सहयोग करना ।

4- वृद्ध-वृद्धाओं के आवास की योजना बनाना जिससे वृद्धावस्था सुख शांति से बसर की जा सके ।

5- सभी वर्गों के बच्चों, महिलाओं, वृद्धों को भारत दर्शन, तीर्थ स्थान आदि करवाने की व्यवस्था करना ।

6- समय-समय पर सत्संग, भजन, कीर्तन भण्डारे आदि का आयोजन करना/करवाना ।

....4.

THE SEAL OF NOTARY PUBLIC APP BY CENTRAL GOVT OF INDIA DELHI

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

गठन :- न्यास के निम्नलिखित अधिकारी सदस्य होंगे -

1- रणजीत मावी सुपुत्र श्री हरलाल, निवासी 240, तेहखण्ड, नई दिल्ली .. न्यास के न्यासकर्ता, आजीवन अध्यक्ष एवं न्यासी.

2- किशन सिंह सुपुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी A216 तेहखण्ड, नई दिल्ली. न्यास के उपाध्यक्ष एवं न्यासी.

3- रतन पाल सुपुत्र श्री सुर्जन सिंह, निवासी 74, तेहखण्ड, नई दिल्ली. न्यास के महासचिव एवं न्यासी.

4- हरिपाल सुपुत्र श्री बेगराज सिंह, निवासी गांव पावला, जिला बागपत, उत्तरप्रदेश न्यास के सचिव - एवं न्यासी.

5- मिस नेहा सुपुत्री श्री राजपाल, निवासी 240/14, तेहखण्ड, नई दिल्ली. न्यास की कोषाध्यक्ष एवं न्यासी

6- मलखान सिंह सुपुत्र श्री छज्जू सिंह, निवासी गांव सालारपुर, डा. ... ल, नोएडा. न्यास के न्यासी सदस्य.

7- श्रीमती रानी पत्नी श्री किशन सिंह, निवासी 144, तेहखण्ड, नई दिल्ली न्यास की न्यासी सदस्य.

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थापक न्यासकर्ता (अध्यक्ष) के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं ।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्णरूप से प्राणिमात्र के धर्मार्थ होगा और इसकी आय देश- विदेश में इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं की स्थापना एवं उनका परिरक्षण करने में बिना किसी पक्षपात के सर्वकल्याणार्थ प्रयोग की जायेगी । इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेत हो ।

समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा समिति व उपसमिति/नाम पर अलग-अलग प्रदेशों में इसकी शाखायें खोली जा सकेंगी ।

RRMavi

THE SEAL OF NOTARY PUBLIC APPD BY CENTRAL GOVT OF INDIA DELHI AZAD KUMAR

19/8/08

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

5017
5701

58 04/04/201

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

स्टाम्प विक्रेता
301580 — भाग 36
दिनांक 14/7/97

" ट्रस्ट डीड "

इन्टरनेशनल वैलफेयर ट्रस्ट

मैं, रणजीत मावी सुपुत्र श्री हरलाल, निवासी 240, तेहखण्ड, नई दिल्ली, जो [illegible] के संस्थापक [illegible] के रूप में [illegible] हूं। आज दिनांक 04/04/2001 के दिन इस ट्रस्टनामा [illegible] का निष्पादन कर रहा हूं। मेरी (रणजीत मावी) [illegible] हार्दिक अभिलाषा है कि मानव समाज में स्थायी सुख, शांति, प्रेम, [illegible], [illegible], [illegible], निर्भीक स्वतंत्रता, आस्तिकता, धार्मिकता, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, दीर्घायु आदि उत्तम व आदर्श गुणों की स्थापना हेतु [illegible] ट्रस्ट की स्थापना की जाये तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए [illegible] शाखाओं-उपशाखाओं का [illegible] किया जाये। इसके निमित्त प्रारम्भ में रूपये 11,000/- (रूपये [illegible] हजार केवल) प्रदान करता हूं।

ट्रस्ट का नाम — " इ न्ट र ने श न ल वै ल फे य र ट्र स्ट " होगा।

कार्यालय — ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय —
240, तेहखण्ड,
नई दिल्ली — 110020.

भविष्य में आवश्यकतानुसार कार्यालय/कार्यालयों को स्थानान्तरित [illegible] सकता है।

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

....2..

THE DELHI NOTARY PUBLIC ... BY CENTRAL GOVT OF INDIA DELHI AZAD KUMAR

19/8/02

3/

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिल्ली DELHI 21AA 967257

AFFIDAVIT

I, Dharam Raj Mavi son of Shri Bhagwat Singh Mavi, resident of T-76, Mavi Mohalla, Teh Khand, New Delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under :-

1. That I shall abide by the layout plans as may be approved with or without conditions.

2. That I shall transfer the land available, if any for social infrastructure in the name of the DDA or the MCD/NDMC, free of cost, in order to provide such social infrastructure.

Deponent

Verification :
Verified that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Deponent

ATTESTED

By Notary Public
I P O Lane, New Delhi

18 AUG 2009

CHECK LIST OF DOCUMENTS

Name of Colony:- Village Tehkhand Okhla
Regn./Sl. No.:- 58-ELD

(80)

- ✗ Registration Certificate of Resident Society No
- ✓ Existing Layout Plan of the colony on the scale of 1:1000, prepared by an Architect/Town Planner signed by President/Secretary of the Resident Society. Yes
- ✓ Complete list of members with details such as plot Nos. and area of the colony Yes
- ✗ Land status with Khasra No. accompanied by a site plan giving the physical description of the site NO

DHA... ...AJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)

KHASRA NO: 298/2/2

- ✓ Undertakings: Yes

  i. That they shall abide by the layout plans as may be approved with or without conditions

  ii. That they shall transfer the land available, if any for social infrastructure in the name of the DDA or the MCD/NDMC, free of cost, in order to provide such social infrastructure

MOST IMMEDIATE

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
10TH LEVEL, DELHI SECRETARIAT,
I.P.ESTATE NEW DELHI

F.No. 1699 Dated 13/08/08

To

The President,

International Welfare Trust

T-76 Mani Mohalla Village

Jhakhand, Okhla, Ph-I

N. Delhi-20

Sub: Verification of documents of unauthorized colonies for the purpose of regularization.

Sir,

A preliminary scrutiny of the application submitted by the unauthorized colony and figuring at ~~serial~~ Regd No. 58-ELD of the list of such unauthorized colony has been made. It has been noted that you have not submitted the following required documents, along with your application.-

As per check list enclosed.

You are therefore, requested to kindly get the registration of your resident society done immediately, if not already registered, with the Registrar of Societies GNCT of Delhi. A copy of the certificate along with other deficient documents as pointed out above may please be got ready as the government of NCT of Delhi proposes to hold a camp shortly for rectification of deficiencies in the application forms.

This is in pursuance of the decision to grant a provisional registration certificate. The date and time of the camp would be notified through public advertisement.

Yours faithfully,

(J.G. ARORA)
DY. SECRETARY (UC)

Encl: Check list

Recd.

DHARAM RAJ MAVI
CHAIRMAN I.W.T. (R)
9810956651
Dt. 18/8/08

(31)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
10TH LEVEL, DELHI SECRETARIAT,
I.P. ESTATE, NEW DELHI

F. No. 1-33/UC/UD/Policy/08/PF/ Dated:- 19/8/08

To,

The President / Secretary
Village Tehkhand
H. No. T-76 Mavi Mohalla
New Delhi - 20

Registration No. ELD-58

Sub: - **Eligibility slip for issuance of Provisional Regularization Certificate.**

Sir,

The documents submitted by you have been scrutinized and your unauthorized colony bearing Registration No. ELD-58 has been found eligible for issuance of Provisional Certificate of Regularization.

Yours faithfully,

15/8/08

(Incharge)
Counter No.

Urban Development Deptt
(Govt. of D.
Delhi Secretariat New Delhi - 2

Recd.

19/8/08.

35

GOVT. OF NCT OF DELHI
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
9TH LEVEL, 'C'WING, DELHI SECRETARIAT
I.P. ESTATE : DELHI

ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT

Application for regularization of unauthorized Area of Urbanised / Rural Village. at Regn. No. ....Nil........ named ...Tekhand....village Urbanized.....village...

....

.... has been received from Shri ...Dharam Raj.. on behalf of Resident Society alongwith the enclosures as mentioned in the Public Notice issued on 24th February, 2008.

RECEIPT NO. ....58............

DATED ...25 MAR 2008.........

(SIGNATURE) 25/3/08

RECEIVED
U. C. Cell
9th Floor, Delhi Secretariat,
New Delhi-110002

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
10TH LEVEL, DELHI SECRETARIAT,
I.P. ESTATE, NEW DELHI

F. No. 1-33/UC/UD/Policy/08/PF/ **Dated:-** 19/8/08

To,

The President / Secretary
Village Tehkhand
H.No - T-76 Mavi Mohalla
New Delhi - 20

Registration No. ELD - 58

Sub: - **Eligibility slip for issuance of Provisional Regularization Certificate.**

Sir,

The documents submitted by you have been scrutinized and your unauthorized colony bearing Registration No. ELD-58 has been found eligible for issuance of Provisional Certificate of Regularization.

Yours faithfully,

(Incharge) 19/8/08
Counter No.

Urban Development Deptt
(Govt. of D
Delhi Secretariat New Delhi - 2

CERTIFICATE OF REGISTRATION

UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT OF XXI, 1860

Registration No. S/ 63952 **/2008**

I hereby certify that "TEHKHAND VILLAGE MAVI MOHALLA RESIDENT WELFARE ASSOCIATION".

located at T-76, TEHKHAND VILLAGE, MAVI MOHALLA, NEW DELHI - 110020 **has been registered*under SOCIETIES REGISTRATION ACT OF 1860.**

Given under my hand at Delhi on this 25th **day of** NOVEMBER **Two Thousand Eight.**

Fee of Rs. 50/- Paid

(*M.P. SHARMA*)
REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI

Seal
Registrar of Societies
Delhi

** This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860. However, any Govt. department or any other association/person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liabilities of the society before entering into any contract/assignment with them.*

38

TEHKHAND VILLAGE MAVI MOHALLA RESIDENT WELFAIRE ASSOCIATION

ELD-58

PRESIDENT
D.R.MAVI
Cell-

VICE-PRESIDENT
VIRPAL MAVI
Cell-9871891410

Dy. No. 12479 Pr. Br. of Pr. Secy(U.D)
Date 16/12-08

8550/JS(UC)
17/12/08.

Dated : 16.12.2008

To

The Principal Secretary,
Urban Development,
New Delhi.

Sub.: Issue of provisional certificate for extended abadi of Teh Khand Village.

Respected Sir,

We have applied for Provisional Certificate of extended abadi of Village Tehkhand, New Delhi. Through our Registered Trust (International Welfare Trust-Regd. No.5701). The Urban Development 9th Level, 'C'Wing, Delhi Secretariate, I.P.Estate, Delhi has issued acknowledgement Receipt No.58 dt.25.03.2008 to our Trust.

But at the time of issuing Provisional Certificate of urbanised village Teh Khand, extended area, your staff was required Regd. Resident Welfare Association Certificate instead of International Welfare Trust. So, we have submitted certificate of Registration "TEHKHAND VILLAGE MAVI MOHALLA RESIDENT WELFARE ASSOCIATION".

So, you are therefore requested to please issue us a Provisional Certificate for Tehkhand Village.

Thanking you,

Yours Sincerely,

16/12/08

(Dharam Raj Mavi)
President.
Tehkhand Village Mavi Mohalla
Resident Welfare Association.

8915/JS(UC)
18/12/08

JS(UC)

Encls.:

1. Registration Certificate of Resident Welfare Association.
2. Acknowledgement Receipt issued by U.C.Cell.

Pl. examine & put up.
18/12/08

Sr. Khan